भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *235
(16 **दिसम्बर**, 2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए)**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

(मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों की भागीदारी

*235. **एडवोकेट अदूर प्रकाश:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सहित कई राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में कामगारों की राज्य-वार घटती भागीदारी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों की घटती भागीदारी की कोई समीक्षा की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत सात वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कामगारों की भागीदारी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या** 235 **के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(**क**) **से (घ)**: उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार की गारंटी देती है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोई बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने की स्थिति में यह एक वैकल्पिक रोजगार है। चूंकि, जमीनी स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, अत: यह मंत्रालय अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने और मांग के अनुसार समय पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। वित्त वर्ष 2025-26 में (दिनांक 11.12.2025 तक), काम की मांग करने वाले 99.70% ग्रामीण परिवारों को रोजगार की पेशकश की गई है।

केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रदान किए गए रोजगार में वृद्धि/कमी के साथ कोई भी भिन्नता, पात्र ग्रामीण परिवारों द्वारा किए गए काम की मांग और प्रस्तावित रोजगार की तुलना में श्रमिकों द्वारा प्राप्त रोजगार पर निर्भर करती है। हालांकि, रोजगार की मांग, पेशकश किए गए रोजगार के लगभग बराबर है तथापि, श्रमिकों द्वारा प्राप्त किए गए रोजगार में कमी का कारण, श्रमिकों द्वारा पेशकश किए गए रोजगार का लाभ न उठाया जाना है। ऐसा कहीं और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध होने, बीमारी या किसी अन्य प्रासंगिक कारक के कारण हो सकता है। इसके अलावा, कहीं और बेहतर रोजगार के अवसरों या अच्छे मानसून के मौसम के कारण इस योजना के तहत रोजगार की मांग वर्ष-दर-वर्ष अलग-अलग रहती है।

इस योजना के प्रावधानों के संबंध में जागरूकता लाने और महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अधिनियम के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए दीवार पर पेंटिंग सहित उपयुक्त सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान चलाते हैं, पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करते हैं ताकि महात्मा गांधी नरेगा

के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रहे, भागीदारी पद्धति में योजनाएं तैयार करते हैं और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करते हैं तथा 'रोजगार दिवस' का आयोजन किया जाना सुनिश्चित करते हैं।

मंत्रालय नियमित रूप से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है, जिसमें मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट बैठकें, श्रम बजट संशोधन बैठकें, कार्यक्रम समीक्षा बैठकें जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से श्रमिक भागीदारी के रुझान शामिल हैं।

पिछले सात वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनाँक 11.12.2025) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किए गए श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 16.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 235 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले सात वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनाँक 11.12.2025) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान किए गए श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	रोजगार प्रदान किए गए श्रमिक							
		2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1	आंध्र प्रदेश	6909542	6500099	7952471	7737145	7599041	7542774	7523192	6437654
2	अरुणाचल प्रदेश	169235	182670	243521	278558	287823	282304	311416	312296
3	असम	2458226	2770697	3571816	3987152	3429176	3347046	2635656	1741219
4	बिहार	3360577	3832298	5814920	5411860	5775151	5383600	5622579	5003773
5	छत्तीसगढ़	4568868	4544184	6017874	5506469	4719032	4414138	4483974	2691215
6	गोवा	1161	1751	4365	3478	3862	2186	3192	2326
7	गुजरात	1516947	1326194	1931861	1843874	1630751	1511621	1306277	900961
8	हरियाणा	326861	364019	651129	569854	440703	524003	478818	355310
9	हिमाचल प्रदेश	736077	716133	891622	995654	880712	949218	1026193	635097
10	जम्मू और कश्मीर	981253	920942	1127905	1085127	989074	993446	1055750	770496
11	झारखंड	1623143	1762509	3204487	3099049	2497483	2559494	2311373	2299269
12	कर्नाटक	3934472	4108973	5668569	6361291	5315915	5402381	5172297	3631775
13	केरल	1708184	1654129	1882654	1898995	1758623	1661622	1540284	1310876
14	लद्दाख	0	37035	38058	37457	39176	36516	37175	34838
15	मध्य प्रदेश	6672026	6166051	10530733	9568909	7550368	6373186	5772978	5218046
16	महाराष्ट्र	3275525	2745962	3109789	3688009	3706159	4128113	5112002	5133912
17	मणिपुर	570353	590185	604230	593711	374635	503268	565784	513700
18	मेघालय	679527	715056	752426	731124	645192	629087	544506	459578

19	मिजोरम	199965	208131	222695	213601	218722	211413	211355	216948
20	नागालैंड	416321	425990	418825	463815	491446	468211	216384	271253
21	ओडिशा	3366339	3731602	6214748	5553162	5174500	4991241	3376769	2938674
22	पंजाब	824278	908128	1184204	1072149	1018291	1015694	984903	850136
23	राजस्थान	7537391	8051944	11097642	10085964	8807151	8696618	7723342	5206718
24	सिक्किम	72178	67515	76985	74550	71020	70327	68677	58880
25	तमिलनाडु	6524708	6488785	7852828	7995928	7579248	7939116	7433984	5739793
26	तेलंगाना	4252199	4074689	5428833	4878034	4544958	4062113	4244192	3045572
27	त्रिपुरा	739389	784279	833409	852746	819752	843062	813537	720468
28	उत्तर प्रदेश	6148180	6450465	11603211	9543735	8367851	8128130	7583469	5528099
29	उत्तराखंड	637929	660783	909281	792067	681227	638095	575358	308756
30	पश्चिम बंगाल	7425666	7968168	11826053	11121629	2020079	9415	0	0
31	अंडमान और निकोबार	7080	6924	9532	5715	5387	5025	3523	1508
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0	2188	10496	6294
33	लक्षद्वीप	259	124	75	24	101	77	0	0
34	पुदुचेरी	35931	43092	53406	41030	45511	58705	50264	50034
	कुल	77679790	78809506	111730157	106091865	87488120	83383433	78799699	62395474

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)